क्र सं० 8

रेल दावा अधिकरण

प्रधान पीठ

13/15 माल रोड़

दिल्ली

सं. रे.दा.अधि./दिल्ली/राजभाषा/तिमाही रपट/2012 दिनांक 08.08.2012

परिपत्र

रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली कार्यालय में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज जैसे परिपत्र, सामान्य आदेश आदि शत प्रतिशत हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं । यह भी अनुरोध किया जाता है कि हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी शत प्रतिशत हिंदी में दिए जाने के प्रयास किए जाएं । इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि प्राय: छोटी-छोटी नोटिंग, छुट्टी के आवेदन पत्र आदि अंग्रेजी में ही प्रस्तुत किए जाते हैं । अत: यह भी प्रयास किया जाए कि हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर, छुट्टी के आवेदन पत्र तथा अन्य छोटी-छोटी नोटिंग हिंदी में ही की जाएं । इस तरह रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली कार्यालय में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को तो गति मिलेगी ही सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन भी सुनिश्चित हो सकेगा ।

रजिस्ट्रार

रेल दावा अधिकरण के समस्त अधिकारी/कर्मचारी